संख्या-161 /2024/I/829359 /2024/71-1002/36/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 20 दिसम्बर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2024-25/164, दिनांक 28.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज (60 वार्षिक सीट) की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य परियोजना की लागत रू0 2082.06 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0 2419.10 लाख (विद्युत+सिविल) के प्रस्ताव का पुनरीक्षण/मूल्यांकन कराते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-118/2023/I/373173/2023-71-1002/17/2022, दिनांक 22.08.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2082.06 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 375.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज (60 वार्षिक सीट) की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 2369.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22.08.2023 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 375.00 लाख को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-28-नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट में से प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 809.655 लाख (रू0 आठ करोड़ नौ लाख पैसठ हजार पॉच सौ मात्र) (इस प्रकार प्रथम**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किश्त की कुल रू0 1184.655 लाख की धनराशि) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. मूल प्रायोजना की स्वीकृति मानकीकरण के अनुसार वर्ष 2020 की अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर0 वर्ष 2020 के अनुसार प्रस्तावित थी। पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्र दिनांक 10.10.2023 तथा तथा दिनांक 10.10.2023 के द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश करते हुए किया गया है।
2. पुनरीक्षित प्रायोजना' प्रस्ताव में सी0सी0 रोड 1627.00 वर्ग मी0 के स्थान पर 2312.70 वर्ग मी0 तथा बाउण्ड्रीवाल 502.00 र0मी0 के स्थान पर 670.00 र0मी0 प्रस्तावित किये जाने के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया है।
3. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताँव में मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाइल फाउण्डेशन तथा 125 के0वी0ए0 डी0जी0 सेट का नवीन कार्य सम्मिलित किये जाने के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया है।
4. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. संदर्भित पुनरीक्षित प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्र दिनांक 10.10.2023 तथा तथा दिनांक 10.10.2023 के द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश करते हुए किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। तनुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।
6. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, डाटा नेटवर्किंग, इ0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, डी0जी0 सेट का प्रावधान किया गया है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।
7. प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु0 37.30 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार वास्तविक धनराशि में अन्तर होने की स्थिति में प्रायोजना को पुनः प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

11. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

13. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे -नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

15. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

16. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,09,65,500 (रुपये आठ करोड़ नौ लाख पैंसठ हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052800 नर्सिंग कालेजों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-172/दस-2024-25 दिनांक 07.11.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।